

3

7

श्री अशोक गोमुनी,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

*[Handwritten signature]*  
Encl: 5

सेवा में,

शिक्षण  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
बिल्डिंग नं. 2, गुरुदास केंद्र,  
प्रधान विद्यालय नई दिल्ली।

आदि 171 अनुमान

मधुनक: दिनांक: 9 दिसम्बर, 1993

विषय:- श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल रेतकोस देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

अनुभव विद्यार्थी पर मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल रेतकोस देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान करने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तिकाओं के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की संजीवित सीताछटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा भागिता एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभवा स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवागित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए नियमित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से शैक्षिक शिक्षा पारखट से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा पारखट/कोरिस कार डिप्टिमेन्ट स्कूल सर्टीफिकेट प्रस्तावना नई दिल्ली से प्राप्त होरी है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की विधि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 5- संस्था अधिक एवं शिक्षणस्थल परीक्षार्थियों को राजकीय सहायता प्रदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुनय वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

6- कर्मचारियों की सेवा भी बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनासक्तिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसन्ध सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश भिरीत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिजर्व निधारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त इलाकों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में इंजीनियरिंग योजना लागू कर शासन को तीन माह के भीतर अवगत कराया जाय । तथा प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल अर्ह अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि कितना समय माग पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अवका पालन करने में किसी प्रकार की धूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रकृत अनासक्तिय प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,


अशोक गांगुली  
उप-सचिव

पुणे 532511/15-7-1993 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक पौड़ी गढ़वाल ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, देहरादून ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रिन्सिपल, श्री गुरुदत्त राय पब्लिक स्कूल रेसकोर्ड, देहरादून ।

आशा है,

  
अशोक गांगुली  
उप-सचिव